

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3920/2026**

सूरज आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता :भगवती प्रसाद निगम, अनुराग शुक्ला

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से प्राथमिकी संख्या 92/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम, 1986, थाना- अतरौली, जिला हरदोई में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 04.05.2026 से जेल में है। आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि यह निर्विवाद है कि दो मामले गिरोह सारणी में दर्शाए गए हैं और उक्त मामलों में आवेदक जमानत पर है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि आवेदक वचन देता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो। अतः निवेदन किया जाता है कि आवेदक जमानत का हकदार है। यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि गिरोह सारणी में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख का अवलोकन करते हुए, साथ ही आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस बयान के मद्देनजर कि आवेदक किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो, उत्तर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, की धारा 19 (4) के तहत निहित दोनों शर्तें पूरी होती हैं।

6. उपरोक्त के मददेनजर, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदक, अर्थात् **सूरज** को प्राथमिकी संख्या 92/2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को निम्नलिखित तिथियों पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा: (क) मामले की शुरुआत, (ख) आरोप निर्धारण; और (ग) धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विचारणीय न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।